प्रभाती देवी बनाम बाबूलाल 28/19

दिनांक	आज्ञा पत्र
16.6.25	पत्रावील पेश । अपील अपीलांट.....खारिज..... की जाती है। निर्णय पृथक से लिखाया जाकर शामिल पत्रावली किया गया। निर्णय सरे इजलास सुनाया गया। प्रकरण फैसल शुमार होकर नम्बर से कम होकर बाद तरतीब तकमील दाखिल दफतर हो। भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील अधिकारी सीकर

न्यायालय भू–प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी सीकर

पीठासीन अधिकारी : अनिल कुमार II, RAS

अपील संख्या 28 / 2019

1 प्रभाती देवी बेवा प्रभूदयाल
2 महावीर प्रसाद पुत्र प्रभुदयाल
3 महेश कुमार पुत्र प्रभुदयाल समस्त जाति मीणा निवासीगण ग्राम ठेहट तहसील दांतारामगढ़ जिला सीकर।

अपीलांटस

बनाम

1 बाबूलाल पुत्र रामेश्वरलाल जाति कुमावत निवासी ग्राम ठेहट तहसील दांतारामगढ़ जिला सीकर।

रेस्पोडेन्टस

अपील अ.धारा 225 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955
विरूद्ध आदेश न्यायालय सहायक कलेक्टर (फास्ट ट्रेक)
दांतारामगढ़ जिला सीकर आवेदन संख्या 13 / 2019
बउनवानी प्रभाती देवी वगै. बनाम बाबूलाल दिनांकित
10.04.2019

उपस्थिति :

1. श्री सांवरमल, अधिवक्ता अपीलांट
2. श्री सुखराम लोरा, अधिवक्ता रेस्पोडेन्ट
3. श्री नानूराम बुरानियां, अधिवक्ता रेस्पोडेन्ट

भू-प्रबन्ध अधिकारी एव
पदेन राजस्व अपील अधिकारी
सीकर

-निर्णय-

दिनांकः- 16/6/25

यह अपील विचारण न्यायालय सहायक कलेक्टर दांतारामगढ़ द्वारा मुकदमा नम्बर 13/2019 में पारित निर्णय दिनांक 10.04.2019 के विरूद्ध प्रस्तुत हुई है।

प्रकरण के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार है कि विचारण न्यायालय में प्रार्थीगण अपीलान्टस ने एक प्रार्थना अ. धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम बाबत भूमि खसरा नम्बर 355, 356, 357 वाके ग्राम ठेहट पटवार हल्का रूपगढ़ का पेश किया। विचारण न्यायालय ने बाद सुनवाई विचाराधीन निर्णय से प्रार्थना पत्र खारिज कर दिया। इससे व्यथित होकर यह अपील प्रस्तुत की गई है।

बहस उभयपक्ष सुनी गई। विद्वान अधिवक्ता अपीलांट ने तर्क दिया कि अपीलाधीन आवेदन में वर्णित भूमि अपीलान्टस के खातेदारी व स्वामित्व की भूमि है, जिसके कुछ हिस्से पर रेस्पोडेन्ट ने कुछ समय पूर्व अतिचार किया है, जिससे बेदखली निमित मूलवाद लंबित है। अपीलान्टस अनुसूचित जनजाति के व्यक्ति है तथा रेस्पोडेन्ट स्वर्ण जाति का व्यक्ति है। जिसे अपीलान्टस की खातेदारी भूमि पर किसी भी कानूनी प्रावधान के तहत कोई हक, अधिकार प्राप्त नहीं हो सके है। विचारण न्यायालय द्वारा अपीलाधीन आदेश प्रिज्यूडिश होकर बिना अपीलान्टस को सुनवाई का अवसर दिये बिना तथा माननीय जिला कलेक्टर सीकर के समक्ष मुन्तकिली आवेदन लंबित होने के बावजूद पारित किया गया है। आवेदन अस्थाई निषेधाज्ञा का मूल उद्देश्य विवादग्रस्त संपदा को वेस्ट डेमेज एवं एलाईमेन्ट होने से रोकना है। विचारण न्यायालय द्वारा अपीलाधीन आदेश आनन-फानन में पारित किया गया है जिसमें न तो अपीलाधीन आवेदन पत्र के तथ्यों का सही रूप से उल्लेख किया गया है तथा न ही जवाब आवेदन में अंकित तथ्यो का बिना पत्रावली पर उपलब्ध तथ्यो, दस्तावेजों एवं कानूनी स्थिति का सही रूप से विवेचन, विश्लेषण एवं मूल्यांकन किये बिना अपीलाधीन आदेश पारित किया गया है। अपील अपीलान्टस स्वीकार फरमायी जाकर विचारण न्यायालय सहायक कलेक्टर (फास्ट ट्रेक) दांतारामगढ़ जिला सीकर द्वारा पारित अपीलाधीन आदेश दिनांक 10.04.

मु.प्रबन्ध अधिकारी एव
पदेन राजस्व अपील अधिकारी
सीकर

2019 निरस्त फरमाया जावे तथा अपीलान्टस द्वारा विचारण न्यायालय सहायक कलेक्टर फास्ट ट्रेक दांतारामगढ़ जिला सीकर के समक्ष प्रस्तुत किया गया अपीलाधीन आवेदन पत्र अन्तर्गत धारा 212 राजस्थान कास्तकारी अधिनियम 1955 स्वीकार फरमाया जाकर अप्रार्थी संख्या 1 को मय उसके परिवारजन, नौकरजन, प्रतिनिधिगण को जरिये अस्थायी निषेधाज्ञा से प्रतिबंधित किया जावे कि वह भूमि खसरा नम्बर 355 रकबा 0.13 हैक्टेयर वाके ग्राम ठेहट तहसील दांतारामगढ़ जिला सीकर को खुर्द बुर्द करने, एलाईमेन्ट करने, कच्चा पक्का निर्माण करने, बलात कब्जे के आधार पर किसी दिगर व्यक्ति को बेचान करने, मौका सुरत बदलने आदि से सदैव के लिए बाज रहे।

विद्वान अधिवक्ता रेस्पोडेन्ट ने तर्क दिया कि विचारण न्यायालय में अप्रार्थी द्वारा प्रस्तुत दस्तावेजो से प्रथम दृष्टया प्रकट होता है कि प्रत्यर्थी के मकानात उसके बुर्जगों के समय से करीब 70-80 वर्ष से बने हुए है उन मकानों में विद्युत संबंध सन् 1986 से प्रत्यर्थी के पिता के नाम से लिया हुआ है। उस समय भी पुख्ता मकानात बने हुए थे वादी ने उस समय जमीन भी खरीद की थी। प्रत्यर्थी के मकानों के पास अन्य भाईयों के मकानात भी है मौके पर आवासीय काम आ रहे है। प्रत्यर्थी के पिता रामेश्वर के नाम विद्युत संबंध सन 1986 से आज तक चल रहा है। उस समय सरपंच ग्राम पंचायत रूपगढ़ द्वारा विद्युत संबंध फार्म में अप्रार्थी के पिता का कब्जा बताया है। इन मकानों में अप्रार्थी के पिता-दादा व बुजुर्ग आवास-निवास करते आये है। ऐसी स्थिति में विचारण न्यायालय ने विचाराधीन निर्णय से प्रथम दृष्टया मामला सुविधा का संतुलन एवं अपूरणीय क्षति के बिन्दू प्रार्थी अपीलान्ट के पक्ष में नहीं मानकर आवेदन धारा 212 खारिज करने में कोई विधिक त्रुटि नहीं की है। विचारण न्यायालय का निर्णय विधि सम्मत है। अपील सारहीन है। खारिज की जावें।

हमने पत्रावली का अवलोकन किया एवं विद्वान अधिवक्ता अपीलांट की बहस पर मनन किया। पत्रावली के अवलोकन से स्पष्ट है कि विचारण न्यायालय में अप्रार्थी द्वारा प्रस्तुत दस्तावेजो से प्रथम दृष्टया प्रकट होता है कि प्रत्यर्थी के मकानात उसके बुर्जगों के समय से करीब 70-80 वर्ष से बने हुए है उन मकानों में विद्युत संबंध सन् 1986 से प्रत्यर्थी के पिता के नाम से लिया हुआ है। उस समय भी पुख्ता मकानात बने हुए थे वादी

मु. [illegible] अधिकारी एवं
पदेन राजस्व अपील अधिकारी
सीकर

ने उस समय जमीन भी खरीद की थी। प्रत्यर्थी के मकानों के पास अन्य भाईयों के मकानात भी है मौके पर आवासीय काम आ रहे है। प्रत्यर्थी के पिता रामेश्वर के नाम विद्युत संबंध सन 1986 से आज तक चल रहा है। उस समय सरपंच ग्राम पंचायत रूपगढ़ द्वारा विद्युत संबंध फार्म में अप्रार्थी के पिता का कब्जा बताया है। इन मकानों में अप्रार्थी के पिता–दादा व बुजुर्ग आवास–निवास करते आये है। ऐसी स्थिति में विचारण न्यायालय ने विचाराधीन निर्णय से प्रथम दृष्टया मामला सुविधा का संतुलन एवं अपूरणीय क्षति के बिन्दू प्रार्थी अपीलान्ट के पक्ष में नहीं मानकर आवेदन धारा 212 खारिज करने में कोई विधिक त्रुटि नहीं की है। विचारण न्यायालय का निर्णय विधि सम्मत है। हम इसमें कोई विधिक त्रुटि नहीं पाते है। अतः इसमें हस्तक्षेप करना हम उचित नहीं समझते है।

उपरोक्त विवेचन के आधार पर अपील अपीलांट खारिज की जाती है।

निर्णय आज दिनांक 16/6/25 को सरे इजलास सुनाया गया।

(अनिल कुमार II)
भू–प्रबन्ध अधिकारी एवं
पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी,
सीकर